imma™

Rashtriya Sahara

Without permission playing music loss of 100cr

Date: 02-01-2008 | Edition: Delhi | Page: 9 | Source: Bureau | Clip size (cm): W: 14 H: 10

Clip: 1 of 1

बिना अनुमति संगीत बजाने पर सौ करोड़ की चपत

सहारा न्यूज ब्यूरो
नई दिल्ली, 1 जनवरी।

नए साल के स्वागत के लिए होटलों, रेस्तरां, डिस्को थेक और अन्य जगहों पर शुल्क चुकाए बगैर संगीत बजाने की वजह से इंडियन म्यूजिक इंडस्ट्री (आईएमआई) की सहयोगी कंपनी फोनोग्राफी परफारमेंस लिमिटेड (पीपीएल) को सौ करोड़ से भी अधिक की चपत लगी है। पीपीएल राजधानी के लगभग तीन दर्जन से अधिक ऐसे होटलों, रेस्तरां, डिस्को थेक और फार्म हाउसों पर नोटिस भेजेगा। आईएमआई की इवेंट कंट्री हेड सौम्या चौधरी ने मुम्बई से **'राष्ट्रीय सहारा'** को फोन पर बताया कि पूरे देश में हमने 200 से भी अधिक लोगों की सूची तैयार की है

होगी कार्रवाई

- **बगैर शुल्क जमा किये संगीत बज़ाकर जेबें भरने का मामला**
- **पीपीएल राजधानी के दर्जनों आयोजन स्थलों को नोटिस भेजेगा**

जिन्होंने बगैर शुल्क जमा कराए संगीत बजाकर अपनी जेबें भरी हैं। इन लोगों पर हम कानूनी कार्रवाई करेंगे।

चौधरी ने बताया कि 31 दिसम्बर रात तक राजधानी के कई ऐसे आयोजक थे जिन्होंने हमसे नए साल के संगीत कार्यक्रम की अनुमति नहीं ली थी। इनमें नरुलाज, सिटी पार्क होटल, दिल्ली डी-विल्स, वी3एस मॉल, डेसिबल, परिक्रमा रेस्तरां, आरपीएम, तबोला रसा, एनबी डिस्को, पेसेफिक ब्लू, टीजर, बारकोडा, मिस्टीक हाईट, वेव्स लाउंज एंड बार, क्यूबा, कैसल-9, पियानो बार, केलीन, यो चाईना रेस्तरां आदि प्रमुख हैं।

चौधरी की माने तो कानूनी तौर पर किसी भी संगीत को अगर व्यवसायिक इस्तेमाल में लिया जाता है तो उस पर नियमों के अनुसार आयोजकों को पीपीएल से अनुमति लेनी होता है और तय शुल्क जमा कराना होता है। लेकिन राजधानी के तीन दर्जन से अधिक ऐसे आयोजक रहे हैं जिन्होंने बगैर अनुमति के ही कार्यक्रम आयोजित किए और अपनी जेबें भरी।